न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 1/2009

01. सूरजमल पुत्र चतुर्भुज मीणा
02. बीरबल पुत्र चतुर्भुज मीणा
03. श्रीमति सीता पुत्री रामनाथ
04. श्रीमति चमेली पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासीगण बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
02. राधेश्याम पुत्र बंशीलाल जाति चमार निवासी बोरदा तह0 मांगरोल
03. रामगोपाल पुत्र
04. रूपचंद पुत्र
05. सोहनलाल पुत्र
06. रामजानकी बाई बेवा
07. विमला बाई पुत्री
08. मंजू बाई पुत्री

पिसरान चतुर्भुज जाति मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगराल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

सीलिंग प्रकरण

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह

दायरा दिनांकः 13.03.2009

निर्णय दिनांक : 05.02.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां के निर्णय दिनांक 26.12.2008 से अपीलान्ट अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.04.1976 निरस्त किया जाकर इस न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज में संलग्न उम्र प्रमाण पत्र एवं पुस्तैनी जायदाद के संबंध में जांच करें तथा अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समूचित समय देकर पुनः विधिसंगत निर्णय पारित करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से श्री महेन्द्र सिंह एडवोकेट द्वारा दिनांक 04.09.2011 को अपने पत्र समर्थन में दस्तावेज पेश किये गये। न्यायाल अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां के निर्णय दिनांक 26.12.2008 के अनुसरण में तहसीलदार मांगरोल से प्रकरण में जवाब चाहा गया।

तहसीलदार मांगरोद द्वारा पत्र कमांक 1640 दिनांक 15.05.2012 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित भूमि पुश्तैनी है। जिसका मूल व्यक्ति परसा था। परसा के तीनो पुत्रो का जिक दस्तावेजात के आधार पर होता है। परसा के जगन्नाथ, चतुर्भुज व रामनाथ पुत्र थे। जिनमें तीन भागो में भूमियां समभागो में विभाजित हुयी है। इस प्रकार उक्त भूमियां पुश्तैनी होना अंकित किया है।

खातेदार परसार के फौत होने के बाद विरासत से ये भूमिया उसके पुत्र जगन्नाथ, चतुर्भुज पिसरान परसा एवं मृतक रामनाथ की बेवा बिसनी बहिन रामनाथ के नाम समभाग में दर्ज हुई है। दिनांक 01.04.1966 के परिवार के सदस्यो का विवरण प्रस्तुत कर अंकित किया है कि जगन्नाथ के परिवार के सदस्यो कि संख्या 11 एवं चतुर्भुज के परिवार की संख्या 9 व बिसनी एवं दो पुत्रिया होना बताया है। किन्तु पुत्रियों के पिता का नाम रामनाथ ना होकर नारायण होना अंकित किया तथा बिसनी के वारिसान की उम्र प्रमाणित करने का भार प्रार्थिया पर ही डाला गया।

प्रार्थीगण द्वारा अपने पत्र समर्थन में दिनांक 07.02.2013 से फर्द दस्तावेज के साथ सूरजमल एवं बीरबल पुत्र चतुर्भुज की जन्मतिथि प्रमाण पत्र पेश किये है। जिसमें सूरजमल पुत्र चतुर्भुज की जन्मतिथि दिनांक 20.04.1990 है तथा बीरबल पुत्र चतुर्भुज की जन्मतिथि दिनांक 13.10.1945 अंकित है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा सीलिंग संबंधी दो पत्रावलियों के 1/09 एवं 3/11 को संयुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 18.06.2013 को कंसोलिटेड किया गया। तथा सीलिंग भूमि धारियों को दिनांक 19.09.2013 से पक्षकार बनाया जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी कम 2 ता 8 ने उपस्थित होकर पैरवी हेतु अभिभाषक हरिओम यादव व कर्मवीर नियुक्त कर वकालत नामे पेश किये गये। जिस पर अप्रार्थीकम 2 ता 8 से जवाब चाहा गया। जिस पर अप्रार्थीगण कम 2 ता 8 ने कोई जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.01.2018 से अपने पक्ष समर्थन में पीडब्ल्यू 1 सूरजमल, पीडब्ल्यू 2 चमेलीबाई, पीडब्ल्यू 3 सीताबाई एवं पीडब्ल्यू 4 के बयान लेखबद्ध करवाये गये। पीडब्ल्यू 4 ने पहचान पत्र असल ऐ–4 स्वयं का राशन कार्ड प्रदर्श 7 जन्मतिथि, प्रदर्श 8 मिलान क्षेत्रफल बोरदा, प्रदर्श 27 है। हाल जमाबंदी प्रदार्श 28, 29 व 30 है। प्रदर्श 31 आवंटन आदेश चतरा पुत्र भैरू नक्शा प्रदर्श 32 है। प्रदर्श 16 साबिक मिलान क्षैत्रफल ग्राम बोरदा प्रदर्श 10 ग्राम बोरदा का है। जिसमें खातेदार रामनाथ, चतुर्भुज पुत्र

परसा दर्ज है। अधिग्रहण की गयी जमीन पर कब्जा स्वयं का है। 5 बीघा जमीन ज्यादा अधिग्रहण करना जाहिर किया। पीडब्ल्यू 2 चमेली बाई पुत्री रामनाथ ने बयान में जाहिर किया कि हम दो बहिने है। हमाने पिता का नाम रामनाथ है तथा माता का नाम बिशनी बाई है। उसका पहचान पत्र प्रदर्श 3 है जिसका असल ऐ–3 है। राशन कार्ड प्रदर्श है। जिसका असल प्रदर्श ऐ–6 है। प्रदर्श 10 खाता बोरदा है। जिसमें खातेदार रामनाथ, चतुर्भुज पुत्र परसा दर्ज है। प्रदर्श 16 ग्राम बोरदा की आराजी है। प्रदर्श 17 ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी का है। प्रदर्श 18 ग्राम रकसपुरिया की आराजी है। प्रदर्श 20 इन्तकाल संख्या 917 है। जो उसके पिता रामनाथ व माता बिसनी बाई के नाम दर्ज हो रहा है। रामनाथ व नारायण एक ही व्यक्ति है। प्रदर्श 21 उसके व सीताबाई के नाम इन्तकाल दर्ज है जो जमाबंदी सम्वत 2055–58 में अंकित है। निर्णय दिनांक 16.04.1976 प्रदर्श 22 है। जमाबंदी प्रदर्श 23 है। जिसमें इन्तकाल नं0 163 से बिशनी बाई के स्थान पर उसका स्वयं का नाम आया है। प्रदर्श 24, 25 जमाबंदी बोरदा है। इन्तकाल नं0 63 प्रदर्श 26 है। मिलान क्षेत्रफल बोरदा प्रदर्श 28, 29, 30 हाल जमाबंदी बोरदा है। सिलिंग में अधिग्रहित भूमि को मुक्त करने की इस्तदुआ की गयी। पीडब्ल्यू 3 सीताबाई पुत्री रामनाथ पत्नि मांगीलाल मीणा बोरदा ने बयानो में जाहिर किया कि उसका पहचान पत्र प्रदर्श 2 है। राशन कार्ड प्रदर्श 5 है। प्रदर्श 10 खाता बोरदा है। प्रदर्श 16 व 27 मिलान क्षेत्रफल हाल जमाबंदी ग्राम बोरदा प्रदर्श 28, 29, 30 है। प्रदर्श 20 इन्तकाल नं0 917 है जिसमें बिशनी बेवा नारायण दर्ज है। प्रदर्श 21 उसके नाम दर्ज इन्तकाल है जो जमाबंदी 2055–58 अंकित है। इंतकाल नं0 163 से जमीन दोनो बहिनो के नाम दर्ज हैं। जमाबंदी ग्राम बोरदा प्रदर्श 24 व प्रदर्श 25 है। इंतकाल नं0 63 प्रदर्श 26 है। सीलिंग में अधिग्रहण जमीन वापस दोनो बहिनो के खाते दर्ज करने की इस्तदुआ की गयी है।

बहस के दौराने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने व्यक्त किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां द्वारा इस्तकात प्रकरण में दिनांक 16.04.1976 को न्यू सीलिंग एक्ट के तहत सीलिंग असेसी में (1) जगन्नाथ मीणा को सीलिंग से अप्रभावित माना गया तथा चतुर्भुज के हिस्से की 40.68 स्टण्डर्ड ऐकड भूमि में से 40 स्टेण्डर्ड ऐकड भूमि सीलिंग में मानकर 0.68 है0 भूमि अधिग्रहण की गयी। जो न्यायोचित नही है। क्योकि सन 1971 में चतुर्भुज के दोनो पुत्र बीरबल व सूरजमल बालिग थें। जो समभाग रखने के अधिकारी थें। इसी प्रकार बिसनी बाई के खाते में 30.88 स्टेण्डर्ड ऐकड भूमि मानकर उसे एक सदस्य मानते हुए 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि उसके खाते में रखते हुए 21 बीघा 14 बिस्वा सीलिंग सरप्लस की गई है। जो न्यायोचित नही है। बिसनी बाई की मृत्यु उपरान्त ग्राम बोरदा का इन्तकाल नं0 163 बिसनी बाई की पुत्रिय चमेली बाई व सीताबाई के खाते दर्ज हुई है। राज्य सरकार द्वारा चमेली बाई व सीताबाई को नही सुन गया। तहसीलदार मांगरोल द्वारा दिनांक 09.04.1971 की घोषणा पत्र में मांग विधवा बिशनी बाई का नाम अंकित किया गया हैं जबकि सन 1971 में बिशनी बाई की दोनो पुत्रिया प्रार्थी कम 3 व 4 बालिग थी ए

बिशनी बाई की मृत्यु के बाद इन्तकाल नं0 163 से बिशनी बाई की समस्त भूमियां उक्त दोनो बहिनो के नाम दर्ज हुई है। तथा उक्त भूमियों पर दोनो बहिनो का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा दोनो बहिने ही हकदार है। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कम 3 व 4 को वक्त सीलिंग प्रकरण सुनवाई के दौरान पक्षकार नही बनाया गया जबकि कोटा सर्क्युलर नं0 3 से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 43 के तहत हिन्दु परिवार के उत्तराधिकार की निम्न श्रेणिया निर्धारित की गयी है:–

01. पुत्र, पौत्र, परपौत्र
02. विधवा पत्नि
03. विधवा पत्नि के मरने के बाद पुत्रिया

हस्तगत प्रकरण में मृतक रामनाथ के कोई पुत्र, पौत्र नही था। रामनाथ मरने के बाद विधवा बिशनी बाई के नाम भूमियां दर्ज हुई तथा बिशनी बाई की मृत्यु उपरान्त उसकी समस्त भूमियां इन्तकाल नं0 163 से चमेली व सीताबाई के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार बिसनी बाई की समस्त आराजियात समभाग में तीना भागो में विभक्त भी। उपरोक्त सीलिंग सीमा से कम रह जाती है। अभिभाषक प्रार्थी ने तहसीलदार मांगरोल का जवाब का अवलोकन करवाते हुए कह दिया कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित आराजियात मृतक परसा से प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी होना तहसीलदार ने जांच में माना है अतः समस्त रेकार्ड के आधार पर उक्त प्रकरण से संबंधित भूमिया पुश्तैनी होने एवं मृतक रामनाथ एवं रामनाथ की विधवा पत्नि बिशनी बाई की दो पुत्रियां चमेली बाई व सीताबाई होना रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी सीलिंग कार्यवाही ड्रोप की जाकर सीलिंग में अधिग्रहण की गयी आराजी को वापस प्रार्थीगण के खाते दर्ज करने की इस्तदुआ की गई।

इस पर पैरोकार सरकार द्वारा हस्तगत प्रकरण से संबंधित भूमिया पुश्तैनी होना स्वीकार किया गया तथा बिशनी बाई की दो पुत्रियों के पिता के नाम अलग–अलग होने से संधिग्धता प्रकट की है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी तथा पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया प्रकरण में वंशवृक्ष इस प्रकार पाया गया:–

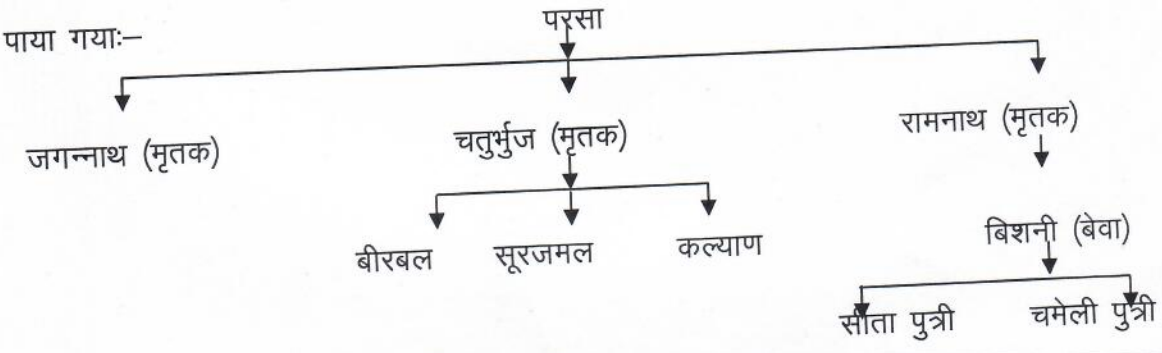

रामनाथ की मृत्यु के समय मृतक रामनाथ के वारिसान के रूप में रेकार्ड के आधार पर बिशनी बेवा व चमेली तथा सीताबाई होना प्रमाणित होता है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विधि दृष्टांत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 43 पूर्ण रूपेण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होना पाया जाता है। इस प्रकार बिशनी बाई के पास 97 बीघा 30.89 स्टेण्डर्ड ऐकड भूमि तीन भागो में समभाग रूप से विभक्त करने पर सीलिंग सीमा से कम भूमियां रह जाती है। इसी प्रकार मृतक चतुर्भुज के पास 40.68 स्टेण्डर्ड ऐकड भूमि थी जिसके तीन पुत्र होना रेकार्ड से प्रमाणित है प्रार्थी कम 1 व 2 ने अपनी जनम तिथि बाबत प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय जलोदा तेजाजी का जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें सूरजमल की जन्मतिथि 20.04.1950 होना अंकित है। इसी प्रकार बीरबल की जन्मतिथि 13.10.1945 होना अंकित है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक चतुर्भुज के दो पुत्र बीरबल व सूरजमल सन् 1971 में बालिग होना प्रमाणित होता है दोनो बालिग पुत्र पृथक–पृथक भूमि रखने के अधिकारी होना पाया जाता है। इस प्रकार चतुर्भुज के पास 40.68 है0 भूमि तीन भागो में विभक्त करने के पश्चात सीलिंग सीमा से कम रह जाती है। पैरोकार सरकार ने भूमियां पुश्तैनी होना तथा कर्ता खानदान परसा का सजरा नही होना स्वीकार किया है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होने के कारण सीलिंग कार्यवाही ड्रोप की जाती है। प्रार्थीगण अपनी सीलिंग अधिग्रहण शुदा आराजी की वापस अपने खाते दर्ज कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर वापस अपने खाते दर्ज करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गर